न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 5/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/20**
दायर दिनांक :– 15.01.2021 **निर्णय दिनांक :– 22.10.2024**

1. अली मोहम्मद पुत्र कादर खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी खेंगासर तहसील घंटियाली

वादी...........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि खसरा नम्बर 765/4 रकबा 21.11 बीघा भूमि ग्राम चाखू नवसृजित ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता कादर खां पुत्र श्री उस्मान के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2072–2075 संलग्न वाद पेश है। जब वादी के पिता कादर खां पुत्र उस्मान फौत हुवे तो मुतवफी कादर खां के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 1006 ग्राम चाखू वादी तथा वादी के अन्य भाई निजादीन, सतार खां व दुर मोहम्मद के नाम भरा जाकर स्वीकृत हुआ, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1006 ग्राम चाखू भरते समय वादी का नाम अपनी मनमर्जी से बाबूखां पुत्र कादर खां दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम अली मोहम्मद पुत्र कादर खां है और इसी नाम से ही वादी के मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी की अन्यत्र काश्त भूमि खसरा नम्बर 771/4 रकबा 16.14 बीघा ग्राम पाबुपुरा स्थित है उक्त भूमि में वादी का सही एवं वास्तविक नाम अली मोहम्मद पुत्र कादर खां दर्ज है। इसलिये वादी ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 765/4 रकबा 21.11 बीघा भूमि में दर्ज अपने गलत नाम बाबूखां पुत्र कादर खां के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम अली मोहम्मद पुत्र कादर खां के नाम खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवाद को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम चाखू नवसृजित ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:27 IST
Reason: SelfAttested

22.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खेंगासर पटवार हल्का चाखू खसरा नम्बर 765/4 रकबा 21.11 बीघा भूमि पूर्व में कादर खां पुत्र उस्मान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो भूमि विरासत नामान्तरकरण संख्या 1006 मौजा चाखू के जरिये कादर खां पुत्र उस्मान खां के वारिसानों को प्रापत हुई। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई एजराज नहीं है। जिससे राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम खेंगासर पटवार हल्का चाखू के खेत खसरा नम्बर 765/4 रकबा 21.11 बीघा भूमि स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत नामान्तरकरण संख्या 1006 अनुसार बाबूखां पुत्र कादरखां दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, ग्राम पंचायत चाखू द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वादी के नाम दर्ज अन्य खेत खसरा की जमाबंदी इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम अली मोहम्मद पुत्र कादर खां है। वादी ने अपने वाद को को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खेंगासर पटवार हल्का चाखू के खेत खसरा नम्बर 765/4 रकबा 21.11 बीघा भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम बाबूखां पुत्र कादर खां के स्थान पर अली मोहम्मद पुत्र कादर खां के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. अली मोहम्मद पुत्र कादर खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी खेंगासर तहसील घंटियाली

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 5/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम खेंगासर पटवार हल्का चाखू के खेत खसरा नम्बर 765/4 रकबा 21.11 बीघा भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम बाबूखां पुत्र कादर खां के स्थान पर अली मोहम्मद पुत्र कादर खां के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.10.2024 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन [illegible] गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:27 IST
Reason: SelfAttested